Indian J. Soc &.Pol. 1(2):57-60:2014 **ISSN :2348-0084**

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

(प्राचीन एवम् वर्तमान परिदृश्य में)

अनुराग कुमार त्रिपाठी[1]

[1]असि0 प्रोफेसर,बी.एड0 विभाग,दयानन्द दनकू परागा ज्ञान उदय महाविद्यालय,मुरलीपुर,कानपुर नगर उ0प्र0 भारत

पूर्वपीठिका

व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक शिक्षा की नींव पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के भवन तथा बहुमंजिली इमारतों एवं अट्टालिकाओं के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति निर्भर करती है। विश्व को शून्य का ज्ञान प्रदान करने वाले भारत में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ परिवार से माना जाता है। यह वह स्थान है जहां बच्चा प्रारंभिक संस्कारों से संस्कारित होता है, पुनश्च वह प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्जन हेतु प्रविष्ट होता है। भारत में संबैधानिक रूप से प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार माना गया है ओर विगत दशकों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप व क्रियान्यवन पर अब तक के प्रयासों का अतीत के साथ एक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की प्रथम सोपान है। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सामान्यतः शिक्षा का प्रारंभ अनौपचारिक रूप से बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाता है। परिवार बच्चे का प्राथमिक पाठशाला एवं मां बच्चे के लिए प्राथमिक गुरू मानी जाती है। यहीं से प्रारंभ होती है वह प्रक्रिया जो जीवन पर्यन्त संचालित रहती है। प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कालक्रम के साथ साथ परिवर्तित होता रहा है।

व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक शिक्षा की नींव पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के भवन तथा बहुमंजिली इमारतों एवं अट्टालिकाओं के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति निर्भर करती है। विश्व को शून्य का ज्ञान प्रदान करने वाले भारत में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ परिवार से माना जाता है। यह वह स्थान है जहां बच्चा प्रारंभिक संस्कारों से संस्कारित होता है, पुनश्च वह प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्जन हेतु प्रविष्ट होता है। भारत में संबैधानिक रूप से प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार माना गया है ओर विगत दशकों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप व क्रियान्यवन पर अब तक के प्रयासों का अतीत के साथ एक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा

भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ प्राचीन काल में पारिवारिक परिधि से अलग आश्रम एवं गुरूकुलों में व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो गया था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद विद्यारंभ कराने हेतु आश्रमों में भेज दिया जाता था।[1] इस काल में शिक्षा–निःशुल्क थी। बौद्ध काल में बालकों को प्राथमिक शिक्षा "प्रवज्या" संस्कार के पश्चात मठों में प्रदान की जाती थी। मध्य काल में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र मकतब थे इसके अतिरिक्त खानकाहों, दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इस काल में "बिसमिल्लाह" संस्कार सम्पन्न कराने के बाद प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी।

ब्रिटिश भारत में प्राथमिक शिक्षा

इसाई मिशनरियों ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान विज्ञान एवं अंग्रेजी पर आधारित प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा का सूत्रपात भी कर दिया था। इसाई धर्म का प्रचार करना एवं इसका अनुयायी बनाना इसका उद्देश्य था।

1910 में गोपालकृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यता प्रदान करने के लिए इसके निःशुल्क होने पर बल दिया वहीं गाँधी जी ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हेतु बुनियादी शिक्षा का फार्मूला वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से देश के समक्ष

1: Corresponding Author

रखा। लेकिन फिर भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी रही।

स्वतंत्र भारत में

स्वतंत्रता के बाद 1950 में प्राथमिक शिक्षा पूर्णरूपेण राज्यों को सौंपी गई। प्राथमिक स्तर पर 6–14 वर्ष के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई।[1] पंचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के लिए विभिन्न योजनांए प्रस्तुत की गईं।

प्रारंभ में जिला परिषद एवं नगर पालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं में ही बेसिक शिक्षा विभाग बनाकर विद्यालय स्थापित किए गये। बाद में प्रांतीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथों में ले लिया और प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाने लगी।

स्वतंत्रता के पश्चात 14 जुलाई 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की घोषणा की जिसने प्राथमिक शिक्षा सम्बंधी निम्नलिखित विचार रखे।

- प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए कार्यक्रम।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति।
- व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान।
- ऐसे बच्चे जो किसी कारण से प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं है उन्हें हस्तकार्य में निपुण किया जाए।
- सभी बच्चों को एक कि0मी0 की दूरी में विद्यालय प्रदान किए जाए।
- मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए।
- 6–14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए (1985–86) तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।
- इस स्तर पर अपव्यय–अवरोधन सबसे अधिक होता है उसे रोकने के उपाय किए जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भी प्राथमिक शिक्षा के लिए कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लगभग दोहरा दिया।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्राथमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर प्राथमिक शिक्षा को एक नयी राह दिखा कर शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कार्य किया। जिसमें निम्न बातों पर बल दिया गया।

- 6–14 वर्ष तक के बालको की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- विद्यालय के वातावरण में प्यार व अपनत्व का वातावरण।
- बालकेन्द्रित शिक्षा पर बल।
- प्राथमिक स्तर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न किया जाए।
- छात्रों का मूल्यांकन वर्ष भर किया जाये।
- प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।
- शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्ड को सर्वथा हटा दिया जाये।

इसके अतिरिक्त विद्यालय में कम से कम दो कमरों, एक बरामदे और दो शौचालयों के पक्के भवन, दो शिक्षक, (एक महिला) ब्लैक बोर्ड चाक डस्टर, नक्शे विज्ञान किट् टाट पट्टी खेल का मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर नही जा पाते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायें।

1992 संशोधित शिक्षा नीति

1986 में 300 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्कूल बनाने की योजना थी जिसे 1992 में 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र परिवर्तित कर दिया। 1992 में 2 कि0मी0 की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था बनायी गयी तथा कम से कम तीन कमरों के भवन और तीन षिक्षकों की व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया गया।

वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया जिसमें विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। "सब पढ़े सब बढ़ें" और "स्कूल चलें हम" जिसके द्वारा शिक्षार्थी को शिक्षालय तक जोड़ने का कार्य किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मिल योजना का प्रयास किया गया जो आज भी जारी है।

आज भी भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनता गावों में रहती है और उस भारत का हृदय गावों मे बसता है तथा गावों में निवास करने वाली उस ग्रामीण जनता ने ही अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के द्वारा भारत को विश्व पटल पर एक पहचान प्रदान करायी।

पंडित नेहरू का कथन है कि यदि भारत को देखना एवं उसकी विचारधारा को जानना है तो गावों में जाना होगा। जिस देष में सर्वप्रथम शून्य की खोज करके विश्व गुरू का दर्जा प्राप्त किया हो जहाँ तक्षशिला एवं नालंदा वि0वि0 में विदेशी छात्र, छात्रायें ज्ञान प्राप्त करने आते रहे हों। जिस देश में सर्वप्रथम संस्कृति सभ्यता एवं शिक्षा का जन्म हुआ हो जबकि अन्य देश असभ्यता की गर्त मे पड़े रहे हो। ऐसा क्या हुआ ग्रामीण जनता शिक्षा की पहली श्रेणी भी नही चढ़ पायी है यह एक यक्ष प्रश्न है। सभी स्थितियों का आंकलन करने के बाद प्राथमिक शिक्षा में अभी भी कुछ समस्यायें दिखायी देती हैं जैसे–

- गावों में 15 प्रतिशत स्कूल घरों से तीन कि0मी0 की दूरी पर है।
- प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 44 बच्चों पर एक शिक्षक की सुविधा है।
- 87प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्कूलों की कोई व्यवस्था नही है जो उनके घरों के पास पड़ते हों।
- प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ भी नही है।
- 41,198 प्राथमिक विद्यालय फूँस की झोपड़ी में संचालित हो रहे है।
- 4000 स्कूलों में अध्यापक नही है।
- राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक आबादी वाले 32,000 स्थानो पर एक भी विद्यालय नही है।

यद्यपि संपूर्ण देश में और अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्तर पर संपूर्ण नामांकन अनुपात 100प्रतिशत है। किंतु कुछ राज्य ऐसे है जहाँ अनुपात काफी कम है उनमें बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कश्मीर, मेघालय और उत्तरप्रदेश सम्मिलित है। उ0प्र0 में प्राथमिक स्तर नामांकन अनुपात लगभग 89.3प्रतिशत है। आज भी निर्धनता के कारण अपव्यय की समस्या उत्पन्न हो रही है।अधिकांश विद्यालयों का नीरस स्वरूप है जो कि बच्चों को विद्यालय में रोके रखने में अक्षम है।

निष्कर्ष

विद्यालय भवनों की समस्या का समाधान भवनों की स्थापना एवं सृष्टि के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। विद्यालय भवनों को ऐसे मन्दिरों, सरायों, धर्मशालाओं और व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्थानों का चयन किया जाये जहाँ छात्रों को अधिकतम सुविधायें प्रदान की जा सके।

प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क ही होनी चाहिए जिससे 100प्रतिशत छात्रो का नामांकन सरलता पूर्वक हो सके। विद्यालय भवनों में मूलभूत सुविधायें होनी चाहिए। जैसे चाक, डस्टर, खेल के सामान, मानचित्र वगैरह जिससे छात्रों को शिक्षण प्राप्त करने में आनन्द आयें एवं अपव्यय तथा अवरोधन जैसी जटिल समस्या समाप्त हो सके साथ ही प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को उपयुक्त स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है अतः पाठ्यक्रम में कृषि के विषयों की ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में प्रधानता दी जानी चाहिए।

प्राथमिक विद्यालयों में महिला एवं पुरूष दोनों ही शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए परन्तु इस बात पर जोर अवष्य हो कि शिक्षक एवं शिक्षिकायें पूर्ण प्रशिक्षित हों जिससे कि शिक्षा प्रभावी हो सके। प्राथमिक शिक्षा के सफल संचालन हेतु केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थाओं तथा निजी प्रयासों में प्राथमिक शिक्षा की नीति को लेकर आपस में समन्वयता होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए जनमत तैयार करना होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित हो सकें।यह सत्य है कि प्राथमिक शिक्षा के मामले में भारत का स्वरूव अलग अलग नजर आता है। भारत में ही भारत, इण्डिया, हिन्दोस्तान का अलग अलग स्वरूप दिखायी पड़ता है। अस विषमता का अन्त करना होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और प्राथमिक शिक्षा जो कि देश के विकास का आधार है उसे मजबूत बनाकर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना होगा।

सन्दर्भ

मिश्र, आर एन : *शिक्षा में प्रयोग तथा समस्यायें,* विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2

लाल,रमन बिहारी : *भारतीय शिक्षा का विकास,*रस्तोगी पब्लिकेशन्स

त्यागी, गुरसरनदास : *भारतीय शिक्षा का परिदृश्य,* विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2

अग्रवाल, बी0 बी0: *आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समस्यायें,* विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2